प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर,
रिट याचिका क्रमांक 3318/2004

शिव सिंह चौहान

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थित:
याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य/उत्तरवादी क्रमांक–1 की ओर से: श्री एन.के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता,
उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से : श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता,

---

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश
(आदेश दिनांक 4 फरवरी 2005)

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू,

याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उत्तरवादी क्र. 2 और 3 की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए, जिसके तहत उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता को निविदा फॉर्म नहीं दिया जिसमें वह निविदा प्रक्रिया में भाग ले सके।

2. इस रिट याचिका को दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरवादी संख्या 3 ने 1–09–2004 को निविदाएं आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया (अनुलग्नक–पी/1) जो 3–9–2004 को समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें नगर पंचायत तखतपुर के क्षेत्र में श्रमिकों के आधार पर 15 कार्यो के निष्पादन के संबंध में इच्छुक निविदाकारों से दिनांक 17–9–2004 तक एक सीलबंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि दिनांक 16–9–2004 को याचिकाकर्ता ने एनआई,टी के नियमों और शर्तों के साथ निविदा फॉर्म की आपूर्ति के लिए उत्तरवादी संख्या 3 से संपर्क किया और उस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता ने राशि भी जमा कर दी (अनुलग्नक–पी/2)। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 3 को एक लिखित आवेदन दिया लेकिन उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए, उन्होंने

तहसीलदार, तखतपुर से संपर्क किया , क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 3 निविदा फार्म की आपूर्ति नहीं कर रहा था, उन्होंने एक लिखित अनुरोध (अनुलग्नक–पी/3) भी किया, फिर दिनांक 17–9–2004 को छुट्टी होने के कारण, दिनांक 18–9–2004 को शनिवार और दिनांक 19–9–2004 को रविवार होने के कारण निविदाएं नहीं खोली गईं और उन्हें 20 सितंबर 2004 को खोला गया। इस बीच, याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 की कार्यवाही से व्यथित होकर दिनांक 18–9–2004 को अनुविभागीय अधिकारी से संपर्क किया और एक आवेदन (अनुलग्नक–पी/4) दिया। उस पर, अनुविभागीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता को निविदा फार्म की आपूर्ति करने का आदेश दिया, फिर भी उन्हें निविदा फार्म की आपूर्ति नहीं की गई।

3. याचिकाकर्ता का आगे का प्रकरण यह है कि उत्तरवादीगण ने प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी दिए बिना बहुत ही गोपनीय तरीके से सब कुछ किया और यह केवल अपनी पसंद के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने और अन्य व्यक्तियों को वंचित करने के लिए किया जा रहा था, यहां तक कि एनआईटी में , जिसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था , पात्रता मानदंड शामिल नहीं किया गया था। निष्पादित किए जाने वाले कार्य की अनुमानित लागत का भी एनआईटी में उल्लेख नहीं किया गया था। कार्य पूरा होने की अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया था और प्रासंगिक जानकारी, जो प्रकृति में अनिवार्य थी, एनआईटी में उल्लिखित नहीं थी। उत्तरवादीगण को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए था। उत्तरवादीगण ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर–इन–काउंसिल / अध्यक्ष–इन–काउंसिल के व्यवसाय का संचालन और अधिकारियों की शक्तियां और कार्य) नियम, 1998 (इसके बाद नियम 1998 के रूप में संदर्भित) का घोर उल्लंघन किया।

4. उत्तरवादी संख्या 2 और 3 की ओर से जवाब दाखिल किया गया है जिसमें बताया गया है कि एनआईटी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी और दिनांक 17–9–2004 को अवकाश होने के कारण शुद्धिपत्र जारी किया गया था और 20 सितम्बर 2004 तक तिथि बढ़ा दी गई थी । आगे बताया गया है कि ई.एम.डी. नकद जमा कराई जा सकती है और 3 सितम्बर 2004 के नोटिस की शर्तें और नियम भी तैयार किए गए हैं, जिसकी प्रति (अनुलग्नक आर–2/3) में है। एनआईटी की शर्तों और नियमों के अनुसार केवल वे ठेकेदार ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र थे जिनके नाम सरकारी विभाग में पंजीकृत थे और इस संबंध में उन्हें निविदा दस्तावेज खरीदते समय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। चूंकि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी आचार संहिता के तहत पंजीकृत ठेकेदार नहीं था और उसके पास कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था, ऐसे में वह निविदा फार्म खरीदने का हकदार नहीं था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 15–9–2004 तक उत्तरवादीगण से संपर्क नहीं किया, जबकि एनआईटी दिनांक 3–9–2004 को प्रकाशित हुई थी। नियम 1998 के अनुसार भी, निविदा प्रपत्र जारी करने और ठेका देने के लिए ठेकेदार का सरकार के किसी विशेष विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक था। शेष आरोपों का उत्तरवादीगण ने खंडन किया है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्युत्तर भी दाखिल किया गया है।

5. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का पहला और सबसे बड़ा आरोप यह है कि विचाराधीन एनआईटी (अनुलग्नक–पी/1) नियम, 1998 के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि एनआईटी में ठेकेदार की पात्रता मानदंड, कार्य की प्रकृति, अनुमानित लागत और समय प्रकाशित नहीं किया गया था, इसलिए, पूरी निविदा प्रक्रिया दूषित हो गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पहली एनआईटी में 15 कार्यों को श्रम दर पर निष्पादित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जबकि बाद में, इसे सामग्री की आपूर्ति के लिए भी शामिल किया गया था, जो मूल एनआईटी में नहीं था, जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिट याचिका की इस चुनौती का सामना करने के लिए बाद में तैयार की गई शर्तें और नियम भी याचिकाकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस पहलू पर कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने केवल यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एनआईटी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि वह अनुबंध निष्पादित करने के लिए किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत नहीं था।

8. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यदि एनआईटी में ही यह बता दिया गया होता कि इच्छुक निविदाकर्ताओं को सरकारी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए, तो याचिकाकर्ता पंजीकरण का नवीनीकरण करा सकता था, जो पहले से ही था, लेकिन समाप्त हो गया था। इसलिए, इस आधार पर उनकी याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता ।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात मैंने संबंधित अभिलेख और प्रकरण कानून का अवलोकन किया है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर परिषद /अध्यक्ष परिषद का आचरण तथा प्राधिकारियों की शक्तियां और कार्य) नियम, 1998 के संशोधित प्रावधानों दिनांक 1 अप्रैल 2003 के अनुसार नियम 5–बी जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि लोक निर्माण हेतु निर्माण सामग्री क्रय करने में छत्तीसगढ़

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्माण विभाग मैनुअल के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। अत: उपरोक्त संशोधन के दृष्टिकोण में लोक निर्माण विभाग मैनुअल को लागू किया गया तथा लोक निर्माण विभाग मैनुअल की कंडिका 2.079 के अनुसार यह आवश्यक था कि निविदा आमंत्रण सूचना परिशिष्ट 2.10 और 2.11 में मुद्रित प्रपत्रों में से किसी एक में हो । परिशिष्ट 2.10 में निर्दिष्ट है कि इसे निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है :–

1. एनआईटी फॉर्म … … … … … … … … … … … … को जारी किया गया।
2. ....वर्ग ठेकेदार.................. से निविदा आमंत्रित की गयी।
3. निविदा की अंतिम तिथि … … … … … … … … … … … … … …
4. कार्य का नाम … .
5. अनुमान की राशि … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
6. अनुबंध की राशि … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7. बयाना राशि … … … … … … … … … … … … ....
8. निविदा की लागत … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
9. पूरा होने के लिए स्वीकृत समय … … … … … … … … … .
10. ....द्वारा जारी दरों की अनुसूची के अनुसार कार्य किया जाना है। बल से..

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि विचाराधीन एनआईटी पीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुरूप जारी नहीं की गई थी और जहां तक इस विवाद्यक पर कानून का संबंध है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रमण दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य [एआईआर 1979 सर्वोच्च न्यायालय 1628] के प्रकरण में कहा कि:**

> " कार्यकारी प्राधिकारी को उन मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिनके आधार पर उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है और उसे उन मानकों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, भले ही उनका उल्लंघन करने पर कोई कार्य अमान्य हो जाए।"
>
> माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि:
>
> "यह वास्तव में अकल्पनीय है कि कानून के शासन द्वारा संचालित लोकतंत्र में कार्यकारी सरकार या उसके किसी भी अधिकारी के पास व्यक्ति के हितों पर मनमानी करने की शक्ति होनी चाहिए। कार्यकारी सरकार की हर कार्रवाई को तर्क संगत होना चाहिए और मनमानी से मुक्त होना चाहिए। यही विधि के शासन का सार है और उसकी न्यूनतम आवश्यकता भी है।

आगे यह भी देखा गया कि:

"………. जब सरकार किसी अनुबंध में प्रवेश करती है या जब वह दान प्रदान करती है तब वह बिना किसी पर्याप्त कारण के, किसी व्यक्ति को उसके साथ व्यवहार करने से बाहर नहीं कर सकती है या मनमाने ढंग से दान वापस नहीं ले सकती है। जब सरकार जनता के साथ व्यापार कर रही होती है ……………………………… सरकार की गतिविधियों में एक सार्वजनिक तत्व होता है और इसलिए, निष्पक्षता और समानता होनी चाहिए। राज्य को किसी के साथ कोई अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वह ऐसा करता है, तो उसे बिना किसी भेदभाव और अनुचित प्रक्रिया के निष्पक्ष रूप से ऐसा करना चाहिए, "

न्यू इंडिया पब्लिक स्कूल एवं अन्य बनाम हुडा एवं अन्य [(1996) 5 सुप्रीम कोर्ट केस 510] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:

"जब सार्वजनिक प्राधिकरण अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है तो 'अन्यथा' शब्द को सार्वजनिक उद्देश्य के अनुरूप माना जाएगा और स्पष्ट और असंदिग्ध दिशानिर्देश या नियम आवश्यक हैं और सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कर्तव्य का निर्वहन अधिकारियो की इच्छा और कल्पना पर या किसी उपरी लाभ के लिए नहीं कर सकता है। यह योजना की प्रकृति और सार्वजनिक उद्देश्य के उद्देश्य पर निर्भर करेगा जिसे प्राप्त किया जाना है। सभी प्रकरणों में प्रासंगिक मानदंड विशिष्ट नियमों या विनियमों द्वारा पूर्व निर्धारित किए जाने चाहिए और जनता के लिए प्रकाशित किए जाने चाहिए। इसलिए, सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक विशिष्ट विनियमन या वैध दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता होती है; अन्यथा, सार्वजनिक नीलामी ही सर्वोत्तम उपाय होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **दत्ता एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडो मर्चेंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य [(1997) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 53] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि**:

"सरकार निविदा स्वीकार करने में जो भी प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव करती है, उसे निविदा सूचना में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। प्राप्त निविदाओं पर विचार और निविदा की स्वीकृति के प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और खुली होनी चाहिए। हालांकि सद्भावनापूर्ण त्रुटि या निर्णय की त्रुटि निश्चित रूप से मायने नहीं रखती, लेकिन बाहरी कारणों से सत्ता का दुरुपयोग करने पर संबंधित प्राधिकारियों की छवि उजागर हो जाएगी । "

इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के दृष्टिकोण में एनआईटी जारी करते समय उत्तरवादी संख्या 3 का यह बाध्यकारी कर्तव्य था कि उसे पारदर्शी, निष्पक्ष और खुले ढंग से काम करना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार उत्तरवादी संख्या 3 को एनआईटी जारी करना और एनआईटी में ही सभी विवरण देना आवश्यक था। अगर हम एनआईटी (अनुलग्नक–पी/एल) को किसी भी तरह से देखें तो इसे ऊपर बताए गए पीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। न तो ठेकेदार की पात्रता के मानदंडों का उल्लेख किया गया है और न ही उन 15 कार्यों की प्रकृति का उल्लेख किया गया है जिन्हें निष्पादित किया जाना था, न ही कार्य की लागत और समय सारिणी का उल्लेख किया गया था जिसके भीतर काम निष्पादित किया जाना था। इसलिए, उत्तरवादी संख्या 3 ने बहुत ही गोपनीय तरीके से और एनआईटी जारी करते समय कानून के स्थापित सिद्धांत और पीडब्ल्यूडी मैनुअल के तहत निर्धारित तरीके का उल्लंघन करते हुए काम किया |

11. अब, रिट याचिका की स्वीकार्यता के प्रश्न पर आते हैं, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जिस तिथि को एनआईटी और जिस तिथि को यानी 16–9–2004 को याचिकाकर्ता ने एनआईटी फॉर्म की आपूर्ति के लिए उत्तरवादी संख्या 3 से संपर्क किया, याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी विभाग के साथ पंजीकृत ठेकेदार नहीं था, एनआईटी फॉर्म बेचने की अंतिम तिथि 16–9–2004 थी और उस दिन याचिकाकर्ता ने एनआईटी की आपूर्ति के लिए उत्तरवादी संख्या 3 से संपर्क किया। इसलिए, उसे एनआईटी फॉर्म नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वह उस दिन किसी भी सरकारी विभाग के साथ पंजीकृत नहीं था। अंतिम तिथि होने के कारण, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों में कोई बल नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता को यह पता होता कि केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही एनआईटी में भाग लेने की अनुमति है, तो वह खुद को सरकारी विभाग के साथ पंजीकृत कर सकता था, जब उसने खुद एनआईटी फॉर्म की आपूर्ति के लिए अंतिम दिन उत्तरवादी संख्या 3 से संपर्क किया, तो वह खुद को विभाग के साथ पंजीकृत करने में कैसे सक्षम था? यहां तक कि एनआईटी की शर्तों और नियमों के अनुलग्नक–आर–2/3 के अंतिम पैरा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एनआईटी की शर्तों और नियमों को याचिकाकर्ता को दिखाया गया था, लेकिन देखने के बाद, उसने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि अनुलग्नक–आर–2/5 के पत्र दिनांक 20 सितंबर 2004 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत, तखतपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोटा को भेजे गए पत्र में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता पंजीकृत ठेकेदार नहीं है, इसलिए वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का हकदार नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. इस संबंध में, मोहम्मद आसिफ नामक व्यक्ति ने हलफनामा (अनुलग्नक–आर–2/6) दाखिल किया है। उसने कहा है कि 16–9–2004 को याचिकाकर्ता नगर पंचायत के कार्यालय में आया और कार्य के लिए निविदा फॉर्म जारी करने का अनुरोध किया । उसे नियम व शर्तें दिखाई गईं और उसे यह भी बताया गया कि निविदा फॉर्म जारी करने के लिए ठेकेदार का किसी सरकारी विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है। नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ने के बाद, उसने बताया कि वह किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत नहीं है और उसके बाद, उसने नियम व शर्तों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसलिए, नगर पंचायत, तखतपुर ,जिला बिलासपुर के कर्मचारी मोहम्मद आसिफ द्वारा दिए गए विशिष्ट हलफनामे और उस आशय के नोट को देखते हुए, जो एनआईटी पर भी उपलब्ध है, इसलिए इस कर्मचारी के हलफनामे पर अविश्वास करने और उत्तरवादीगण द्वारा उठाए गए रुख पर अविश्वास करने का कोई कारण इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। 16–9–2004 को याचिकाकर्ता ने खुद उत्तरवादीगण से संपर्क किया और वह एनआईटी फॉर्म जारी करने का आखिरी दिन था और इसलिए याचिकाकर्ता के पास खुद को किसी सरकारी विभाग में पंजीकृत करवाने का कोई अवसर नहीं था, ऐसे में उस दिन वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं था। ऐसे में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर निविदा प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, तो उत्तरवादीगण को नए सिरे से निविदा प्रक्रिया शुरू करनी होगी और यह सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो सकता है और कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है । इसके अलावा, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उत्तरवादीगण ने किसी ऐसे व्यक्ति को अनुबंध दिया है या उसका निविदा फॉर्म स्वीकार किया है जो अन्यथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं था या अनुबंध का चयन करने में कोई अन्य अवैधानिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में, **रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड, वीआईवीआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य [(1999) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 492] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अपनी राय को पुष्ट करता हूं, जिसकी रिपोर्ट** में उक्त निर्णय के पैरा 8 में यह माना गया है कि:

> 'लेकिन चुनौती देने वाले उत्तरवादीगण ने भी योग्यता मानदंड को पूरा नहीं किया। इसलिए, किसी ऐसे पक्ष के कहने पर कोई भी न्यायिक राहत जो अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करती है , अनुचित है।'

13. इसी प्रकार, उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **मुरलीधर स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य [1998 में एआईएचसी 2488] के प्रकरण में, यह माना है कि:**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

" इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डिवाइस के साथ हाइड्रोलिक पेवर फिनिशर जैसी सड़क बनाने वाली मशीनरी के कब्जे की पूर्व शर्त " – इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना पेवर का कब्जा – शर्त पूरी नहीं हुई"

इसलिए, ऐसे व्यक्ति को निविदा फॉर्म जारी करने से इनकार करना जिसके पास आवश्यक मशीनरी नहीं है, अवैध नहीं है। **शेपर्स कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य [(1996) 10 सुप्रीम कोर्ट केस 760] के प्रकरण में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि :**

"याचिकाकर्ता ने इस आधार पर निविदा फार्म के लिए आवेदन किया कि उसने ऐसे कार्यों का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है – निर्णय दिया गया कि कार्यों के पूरा होने की पूर्व शर्त पूरी नहीं की गई है, इसलिए उत्तरवादीगण द्वारा निविदा फार्म न देने में कोई अवैधानिकता नहीं है।"

14. इसलिए, जब दिनांक 16–9–2004 को याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 3 से संपर्क किया, तो वह सरकारी विभाग में पंजीकृत नहीं था , इसलिए वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और निविदा फॉर्म खरीदने का हकदार नहीं था। इसलिए, इस आधार पर याचिकाकर्ता रिट याचिका को बनाए रखने का हकदार नहीं है।

15. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं था, और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(एल.सी. भादू)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By : ANKIT SHRIVAS